

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 2415 / 12-1.

दिनांक, गोपेश्वर, 28/12 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के किमी0 10 से मोपाटा
लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 16.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में ऑन लाईन ई0डी0एस0 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, एनपीसीसी लि0 पी0आई0यू0 थराली ने अपने पत्र सं0 एनपीसीसी/थराली/पीएमजीएसवाई/10 दिनांक 10.12.2019 से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसे संलग्नको सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

Sr. no.	प्रश्न	उत्तर
1	Village level committee proceeding is provided with the certificate for Mopata only. While Village mention in village wise breakup is Lingidi, Koteda, Mopata section B-2.3 in online part I. Please provide village level Committee (VLC) proceeding for each village separate with separate attendance sheet according to filled details B 2-3 Village wise breakup along with FRA document in para K part I.	मोपाटा एवं कोटेडा व लिंगडी की वीएलसी और एफआरए प्रपत्र भी अपलोड कर दी गयी है तथा एफआरए रिपोर्ट संलग्न की जा रही है। (संलग्न-1)
2.	Some other map has been uploaded in the place of alternate alignment map at section D(ii-a) in form A , part -I please rectify accordingly.	Alternate Alignment मैप सही कर दिया गया है। मूल प्रति संलग्न है। (संलग्न-2)
3.	Aerial Distance certificate (Please mention Nearest National Park/Wildlife Sanction name as well as distance) has not been uploaded at additional information in para- 13 in form A, Part II.	एरियल डिस्टेंस सर्टिफिकेट ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिया गया है की प्रति संलग्न है। (संलग्न-3)
4.	SIR of DFO is incomplete. Please upload complete and correct SIR at section 16 in Form A, Part I	एस0आई0आर0 की मूल प्रति पार्ट II के Additional information में एस0आई0आर0 के नाम से अपलोड कर दिया गया है।
5.	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	उपरोक्त सम्बन्धित अभिलेख की तीन-तीन प्रतियां संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
6.	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded Kml file in form A, Part I.	प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांवों को के0एम0एल0 फाईल में ऑनलाईन यथास्थान में अपलोड किया गया है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, एनपीसीसी लि0 पी0आई0यू0 थराली को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Ref: NDCC / Tharali / PMGSY / 110

Dated: 10/12/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग,

गोपेश्वर ।

विषय:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग के कि० मी० -१० से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.008 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- ई0डी0एस0 दिनांक 16.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर

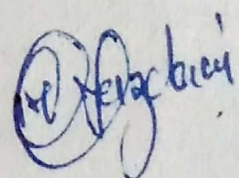
पायी गयी इंगित कमियों का निराकरण कर। दिया गया है ।

S.NO.	प्रश्न	उत्तर
1	Village level committee proceeding is provided with the certificate for Mopata only. while villages mention in village wise breakup is Lingidi, Koteda, Mopata section B-2.3 in online part I. Please provide village level committee (VLC) proceeding for each village separate with seprate attendance sheet according to filled details B -2.3 – village wise breakup along with FRA documents in Para K part I.	मोपाटा एकोटड़ा व् लिंगड़ी की VLC और FRA documents भी अपलोड कर दी गयी है ।
2	Some other map has been uploaded in the place of alternate alignment map at section D (ii-a) in Form A, part I. Please rectify accordingly.	alternate allignment मैप सही कर दिया गया है ।
3	Aerial distance certificate (Please mention Nearest National Park/Wildlife Sanctuary name as well as distance) has not been uploaded at additional information in para -13 in Form A, Part II.	एरियल डिस्टेंस सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया गया है ए प्रस्तावित स्थल किसी भी राष्ट्रीय पार्क व वन्य जिव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है तथा इसकी दूरी १० कि०मी० से भी अधिक है

	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	उक्त पत्रों कि प्रतिया प्रभागीय वनाधिकारी को जमा कर दिया गया है ।
6	User agency may upload/provide present status of the villages to be benefited in the uploaded kml file in Form A, Part I.	Kml. File अपलोड कर दी गयी है जिसमे बेनेफिटेड विलेज का स्टेटस भी दिख रहा है ।

संलग्न :- यथोपरि ।

भवदीय,



प्रबंधक

एन०पी०सी०सी० लिमिटेड

पी०आई०यू० - थराली

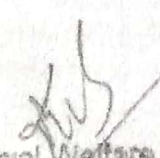
Office of the District Collector,

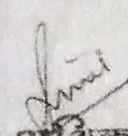
District-Chamoli (Uttarakhand)

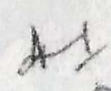
Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of **Swati S Badhoriya (IAS)**, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on dated 25.02.19 At Chamoli in which the application claiming rights in **Mopata (Five Settlements- Mopata, Rol, Tanwa, Bhora, Ezer) village in Tharali Tehsil**, area measuring **3.008 Hectares** for the **Construction of Dewal Kheta MR Km-10(Suyalkot) to Mopata Link Motor Road under PMGSY in Chamoli** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Tharali Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


District Social Welfare Officer
Chamoli


विना अधिकारी
District Magistrate - cum -
Chairman, District Level
Committee, Chamoli


प्रभागीय कर्माधिकारी
बद्रीनाथ दत्त प्रमाण गोपेश्वर
(चमोली)

FORM-I
(For Linear Projects)
Government Of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli
Dated-

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.008 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Dewal Kheta MR Km-10(Syualkot) to Mopata Link Motor Road under PMGSY in Chamoli district** falls within jurisdiction of village **Mopata (Five Settlements- Mopata, Rol, Tanwa, Bhora, Ezer) in Tharali Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.008 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

Name: Swati S Bhadoriya (IAS)

जिला अधिकारी
चमोली

प्रभागीय स्नायिकारी
बदोनाय दन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज- XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- थराली.

उपखण्ड देवाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कुल 0.9841 है0 सिविल भूमि 0.641 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.3366 है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.6389 है0 वन पंचायत भूमि 0.3475 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.2914 है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.385 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- थराली) की दिनांक 20/02/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	श्री परमानन्द राम	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	श्री बिन्दो कार्खे बिष्ट	वन क्षेत्र अधिकारी पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल	सदस्य
3	श्री विजित राणा	रहो. स. के अधिकारी	सदस्य / सचिव
4	श्री हरेन्द्र सिंह बिष्ट	सदस्य के पं. डांगलोली	सदस्य
5	श्री मदन सिंह पराकी	सदस्य के पं. बलाठा	सदस्य
6	श्री नीरज पुरोहित	रा.उ. नि. नलधुरा	सदस्य
7	श्री		सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.008 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

क्रमशः.....2

(2)

सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी श्री निलोत्त सिंह बिष्ट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.008 है० वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रतयावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-थराली
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-थराली
जनपद-चमोली

योजना का नाम:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 20/02/19 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद-चमोली।

1	श्री परमानन्द राम	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष उपजिलाधिकारी
2	श्री विलोकसिंह बिष्ट	उपप्रभागीय वनाधिकारी वन क्षेत्राधिकारी	सदस्य वसली
3	श्री विपिन राणा	रनहाउ सं. 00 अ.वि.	सदस्य/सचिव
4	श्री हेरद सिंह बिष्ट	सदस्य क्षेत्र पं. बलाठा	सदस्य
5	श्री मदन सिंह पट्टाजी	सदस्य क्षेत्र पं. बलाठा	सदस्य
6	श्री नीरज पुरोहित	रा.उ.नि. नलधुदा	नीरज पुरोहित
7	श्री		रा.उ.नि. नलधुदा तहसील (चमोली)

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -मोपाटा
तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 0.1841 है0 सिविल भूमि (0.6475 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.3366 है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.6389 है0 वन पंचायत भूमि (1.3475 है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.2914 है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.385 है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मोपाटा द्वारा दिनांक 29/10/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ताजपुर, काण्डई व ल्वाणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

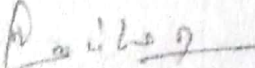
80/ 10.10.2019
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....मोपाटा
विभाग (चमोली)
मुहर सहित

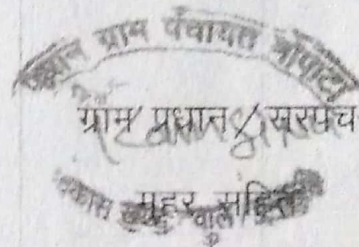
ग्राम पंचायत मोपाटा
80/-
Kam Singh
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

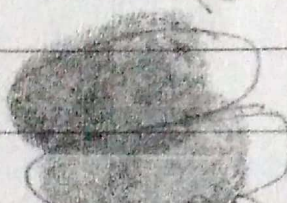
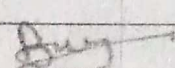
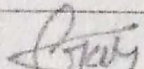
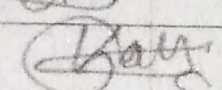
आज दिनांक 29/10/2018 को ग्राम सभा मोपाटा की आम बैठक आहूत की गयी जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियों किसी भी प्रकार की आप्पती नहीं है।


ग्राम पंचायत अधिकारी-आयुक्त
ग्राम पंचायत.....
कि0270-देवाल (चमोली)



प्रारूप-30.4

दिनांक 10/11/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(इजर तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कंचन सिंह	कंचन सिंह
2.	रुक्मा देवी	
3.	बंसी देवी	
4.	शान्ति देवी	
5.	रीता	रीता
6.	तवीन सिंह	तवीन सिंह
7.	विक्रम सिंह	
8.	जंगा देवी	
9.	कामा सिंह	
10.	तुलसी देवी	तुलसी देवी
11.	उदयभराम	उदयभराम
12.	हल्मा देवी	

10/11/2018

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-मोपाटा
वि० सं०-देवात (चमाली)

ह०/-
Kam Singh
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.4

दिनांक 10/11/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(मोपाटा तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देवेन्द्र सिंह	
2.	गोविंद देवी	गोविंद देवी
3.	अंशु देवी	अंशु देवी
4.	हीरा सिंह	हीरा सिंह
5.	भरत सिंह	भरत सिंह
6.	दीवानी देवी	दीवानी देवी
7.	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
8.	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
9.	रमेश सिंह	
10.	मालमी देवी	मालमी देवी
11.	-रामा	-रामा
12.	गीता देवी	गीता देवी
13.	कुली देवी	कुली देवी
14.	लखी देवी	लखी देवी
15.	आशा	आशा

पानिका 2

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत... मोपाटा
दि 02/10-देवाड़ा (चमोली)

ग्राम पंचायत
K.../.../...

ग्राम प्रधान

दिनांक 10/11/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(रोल लोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	धर्म सिंह	धर्म सिंह
2	राजेश सिंह	राजेश सिंह
3	पद्मिनी देवी	पद्मिनी देवी
4	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
5	केचन सिंह	केचन सिंह
6	बालक सिंह	बालक सिंह
7	रमेश सिंह	रमेश सिंह
8	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
9	अंजली देवी	अंजली देवी
10	प्रदीप सिंह	प्रदीप सिंह
11	कमला देवी	कमला देवी
12	गंगा सिंह	गंगा सिंह
13	नारायण सिंह	नारायण सिंह
14	विमला देवी	विमला देवी
15	बृजमोहन सिंह	बृजमोहन सिंह

(Signature)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
पि० २२०-देवाला (चमाली)

ग्राम पंचायत मोपाटा
Kamal Singh
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.4

दिनांक 10/11/2018 को ग्राम राभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(भोरा तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सुप्रकाश सिंह	सुप्रकाश सिंह
2.	नन्दी देवी	नन्दी देवी
3.	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
4.	दुर्गा देवी	दुर्गा देवी
5.	बलराम देवी	बलराम देवी
6.	नारायणन सिंह	नारायणन सिंह
7.	नन्दी देवी	नन्दी देवी
8.	मोहनलाल सिंह	मोहनलाल सिंह
9.	देव सिंह	देव सिंह
10.	दीपा देवी	दीपा देवी
11.	कलवती देवी	कलवती देवी

11 9.11.18
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...मोपाटा...
पि०स०-देवाल (चमोली)

ग्राम पंचायत मोपाटा
10-11-2018
Kam Singh
ग्राम प्रधान

प्रारूप-30.4

दिनांक 10/11/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत-मोपाटा(टनवा तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	लाल सिंह	लाल सिंह
2.	कमला देवी	कमला देवी
3.	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
4.	प्रदीप सिंह	प्रदीप सिंह
5.	मुनी देवी	मुनी देवी
6.	रिवलाप राम	रिवलाप राम
7.	हिममत सिंह	हिममत सिंह
8.	कुलसी देवी	कुलसी देवी
9.	प्रेमो देवी	प्रेमो देवी
10.	राजेश सिंह	राजेश सिंह

10/11/18
ग्राम पंचायत मोपाटा (टनवा तोक)
दिनांक 10-11-2018 (बैठक नं. 1)

ह.0/-
Kam Singh
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -कोटेडा
तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1.014है0 सिविल भूमि(0.649है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.365है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.608है0 वन पंचायत भूमि(1.348है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.240है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.386है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कोटेडा द्वारा दिनांक 12/01/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोटेडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

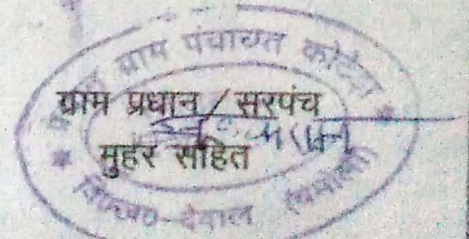
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत कोटेडा
ग्राम पंचायत, कोटेडा

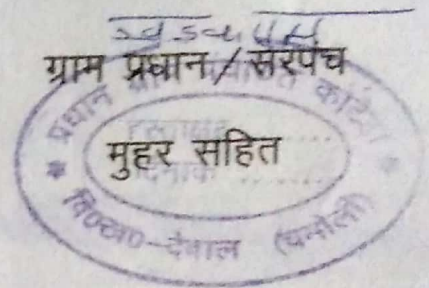
ह0/-



आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा कोटेडा की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आप्पती नहीं है।



प्रारूप-30.4

दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- कोटेडा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पुष्कराम	पुष्कराम
2	गोपाल राम	गोपाल राम
3	दौलतराम	दौलतराम
4	गुलाब राम	गुलाब राम
5	हरीशचन्द्र	हरीशचन्द्र
6	किशन राम	किशन राम
7	भादोराम	भादोराम
8	शेखर राम	शेखर राम
9	शिवराम	शिवराम
10	भोवतराम	भोवतराम
11	किशन राम	किशन राम
12	खड्ग राम	खड्ग राम
13		
14		

खड्ग राम
ह0/-
ग्राम प्रधान
दिनांक
विस्थापित

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -लिंगडी
तहसील-थराली, जिला-चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10 से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु कुल 1.014है0 सिविल भूमि(0.649है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.365है0 डम्पिंग जोन हेतु), कुल 1.608है0 वन पंचायत भूमि(1.348है0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु तथा 0.240है0 डम्पिंग जोन हेतु) तथा कुल 0.386है0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 3.008है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास-विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लिंगडी द्वारा दिनांक 12/01/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लिंगडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत लिंगडी

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-XVII के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 12/01/2014 को ग्राम सभा लिंगडी की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवाल खेता मोटर मार्ग (L027) के कि0मी0-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आप्पती नहीं है।



प्रारूप-30.4

दिनांक 12/01/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत- लिंगडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दशाल सिंह	दशाल सिंह
2.	सुजान सिंह	सुजान सिंह
3.	राजेश्वर सिंह	राजेश्वर सिंह
4.	केशरी प्रसाद जोशी	Keshari
5.	खिलाप सिंह	खिलाप सिंह
6.	जगन्नाथ सिंह	जगन्नाथ सिंह
	रमेशचंद्र जोशी	रमेशचंद्र जोशी
	प्रेम लाल	प्रेम लाल
	कमल मण्डार	कमल मण्डार
9.	दशरथ सिंह	दशरथ सिंह
10.	आनंद सिंह	आनंद सिंह
11.	मान सिंह	मान सिंह
12.	मान सिंह	मान सिंह
13.	त्रिलोक राम	त्रिलोक राम
14.	मोहन सिंह	मोहन सिंह



परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० फेज-XVIII के अन्तर्गत छेवाल खेता मोटर मार्ग(L027) के कि०मी०-10(सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 10.000किमी० से अधिक है।

जमना/एच
व० द० २०१५

जमनाधिकारी
पूर्वी विन्डर रेज रेगल
वदीनाथ वन विभाग पोखरा

ह० /
प्रमाणित वन अधिकारी
प्रमाणित वन अधिकारी
(सुयालकोट)

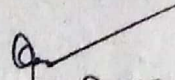
सारांश

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-18) के अर्न्तगत देवाल खेता मो० मार्ग के कि०मी०-10(सयालकोट) से मोपाटा मोटर मार्ग का निर्माण।

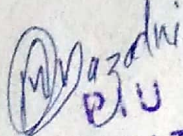
संलग्न तुलनात्मक से स्पष्ट है कि, संरेखण संख्या - 1 जो कि लाल रंग से अंकित है, क्षेत्र की जनता की सुविधा एवं तकनीकी दृष्टि से उपयोगी है। इस संरेखण से जनता अधिक संतुष्ट है तथा किसी प्रकार के विवाद की संभावना नहीं है, क्योंकि संरेखण जनता की सहमति से किया गया है।

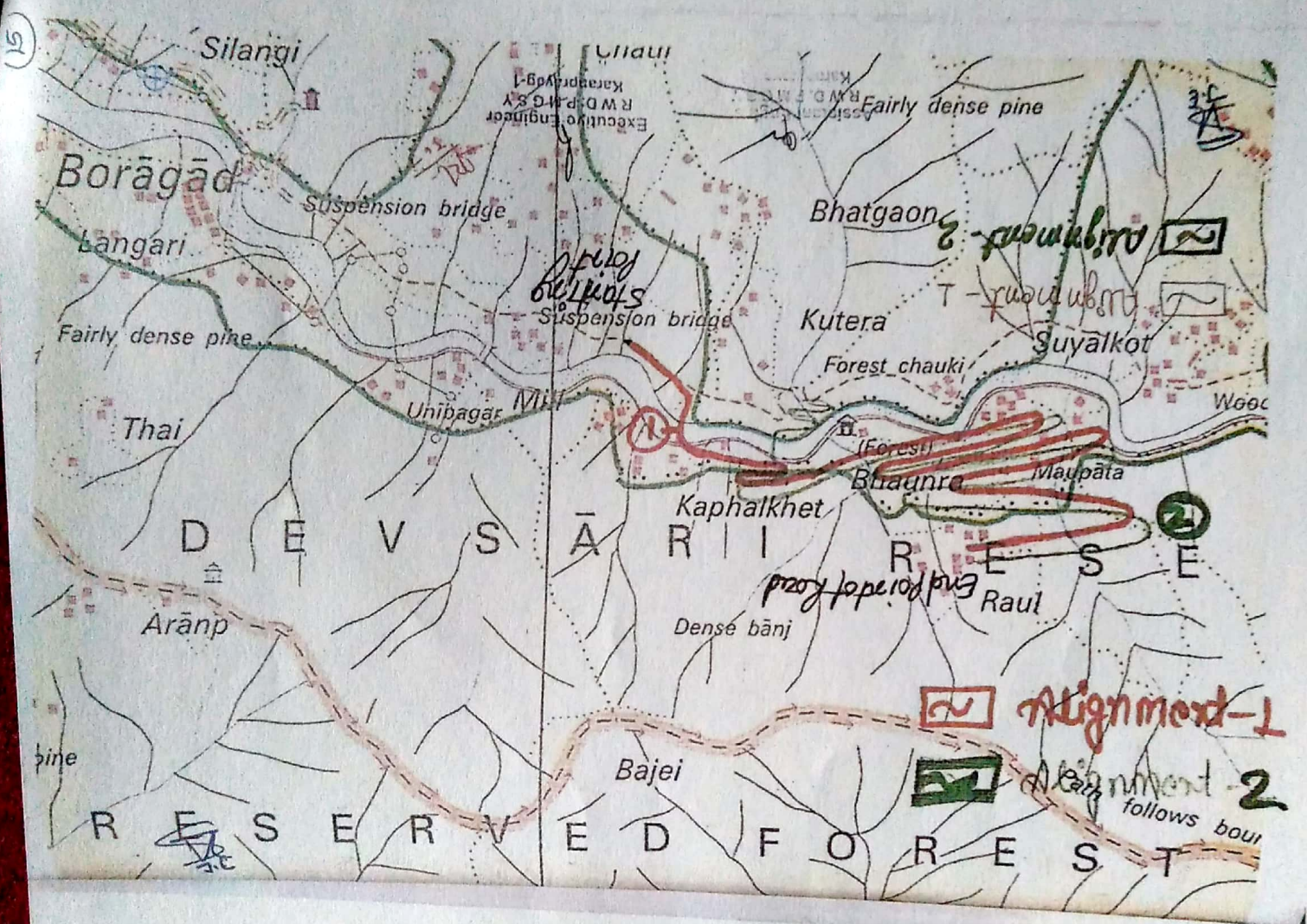
अतः संरेखण 1 जो कि लाल रंग से अंकित है अनुमोदन करने की कृपा करें।


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता
RWD. PMGSY
Karanprayag-1


अधिसारी अभियन्ता
RWD. PMGSY
Karanprayag-1


PIU
NPCC LTD.



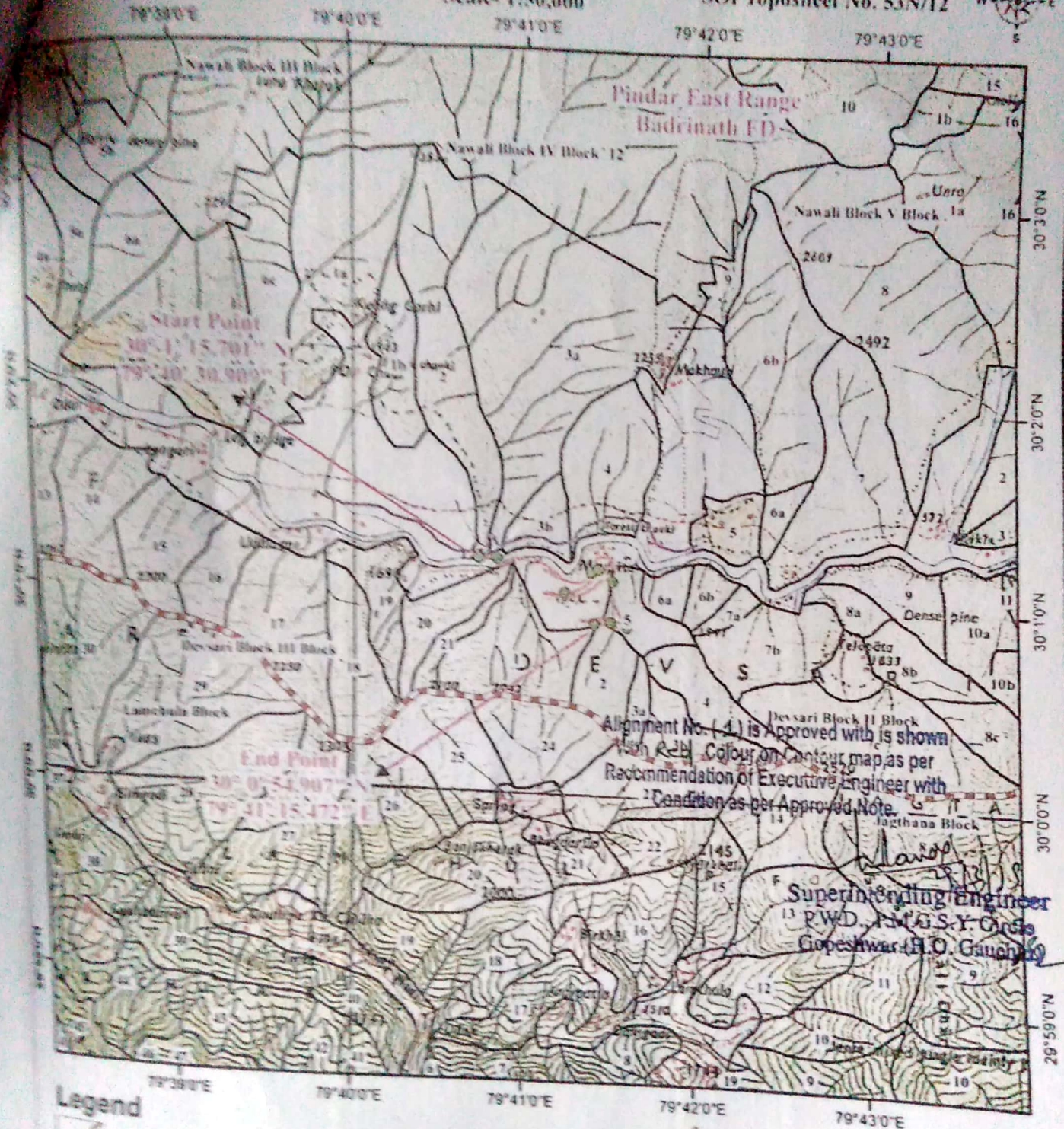
W. P. Zardui
PIU
NPCC LTD.

जवनपद चमोली मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज - 18 के अन्तर्गत मोटर मार्ग किमी 0 10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.5 1 1.5 2 Km

Scale- 1:50,000

SOI Toposheet No. 53N/12



Legend

- Proposed Road
- Alternate Road
- Existing Road
- Muck Dumping Zone
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

Alignment No. (1) is Approved with is shown in Red Colour on Contour map as per Recommendation of Executive Engineer with Condition as per Approved Note.

Superintending Engineer
P.W.D. P.O. G.S.Y. Circle
Gopeshwar H.O. Gauchan

Assistant Engineer

Executive Engineer

समस्त कार्य में - 1 जो लाल रंग से प्रदर्शित किया जा रहा है अनुमोदन की तात्पर्य है कि यह

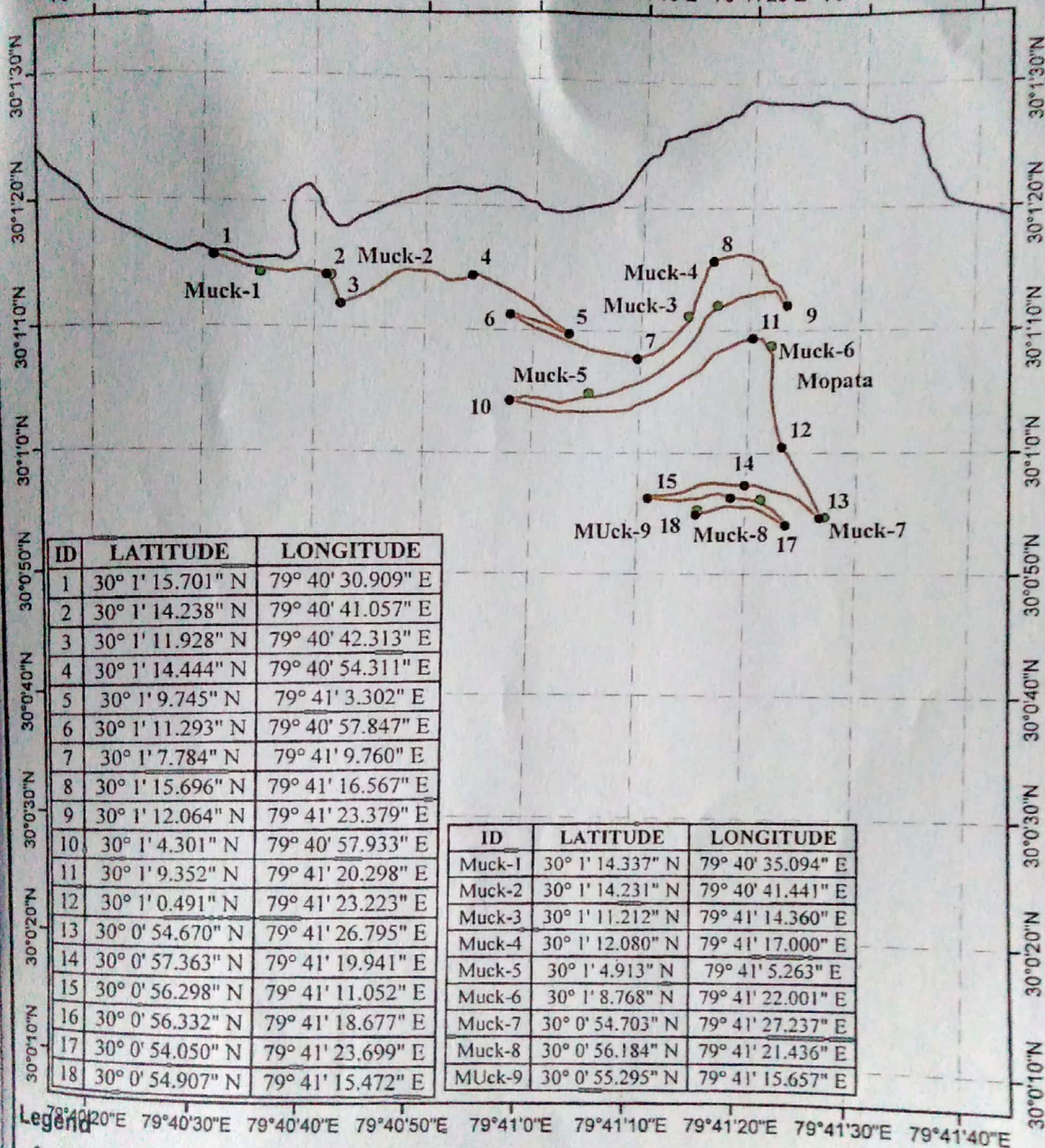
रेफरेंस मैप :- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज - 18 के अन्तर्गत खेता मोटर मार्ग किमी 0 10 (सुयालकोट) से मोपाटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.125 0.25 0.5
KM

Scale- 1:13,000



79°40'20"E 79°40'30"E 79°40'40"E 79°40'50"E 79°41'0"E 79°41'10"E 79°41'20"E 79°41'30"E 79°41'40"E



Legend

- GPS Points
- Muck Disposal Sites
- Proposed Road
- Existing Road

NPCC LTD.

Site Inspection Report

(For the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A Proposal has been received by this office from Executive Engineer RES PMGSY KARANPRAYAG for diversion (under FCA 1980) of 3.008 ha of Forest Land (**0.9841 ha Civil Soyam, 0.385 ha Reserve Forest land and 1.6389 ha Village Forest**) for non-forestry purpose. The Project envisages transfer of forest land for Construction of Dewal Kheta Motor Road Km. 10(Syualkot) to Mopata Link Motor Road Under PMGSY in Phase- XVIII. The Site Inspection done by Dfo Badrinath forest division on dated. 09-5-2019.

5.2 On Inspection of the site, It is found that the land required by the user agency is a forest area measuring 3.008 ha (**0.9841 ha Civil Soyam, 0.385 ha Reserve Forest land and 1.6389 ha Village Forest**).

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in column no-2 of part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project-Yes

5.4 Whether any rare/endangered unique Species of flora and fauna in the area- No

5.5 Whether any Protected Archaeological/heritage site/defined establishment or any other important Mounment is located in the area, if so, the details thereof with NOC from competent authority, if required:- No.

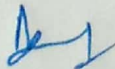
- a) The user agency has not violated the provision of forest Conservation act, 1980 and no work has been started without proper sanction- yes.
- b) It has been found that the user agency has violated (Conservation) Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Recommendation for acceptance of proposal for diversion of 3.008 ha of forest land for Dewal Kheta Motor Road Km. 10(Syualkot) to Mopata Link Motor Road Under PMGSY in Phase- XVIII.

Place- Gopeshwar

Date- 09-05-2019


Name- (Amit Kanwar)

Designation-Divisional Forest Officer,
Badrinath Forest Division, Gopeshwar
Office Seal